

**राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग**

क्रमांक प.12(06)नविवि/मेवानगर(बालोतरा)/2026

जयपुर, दिनांक:—यथा हस्ताक्षरित

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 38 की उपधारा (1) द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार नगर विकास न्यास, बालोतरा की **“रॉयल मेवानगर बहुउद्देशीय फार्म हाऊस योजना नाकोड़ा”** को अनुमोदित करती है।

उक्त योजना का विकास कार्य एवं निष्पादन अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के भीतर किया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)

शासन उप सचिव—प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, बालोतरा।
5. आयुक्त, नगर परिषद्, बालोतरा।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, बालोतरा।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर।
9. सहायक निदेशक, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाने जाने हेतु।
10. प्रोग्रामर, नविवि को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव—प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy Secretary To
Government 1 of 1
Date: 2026.08.12 12:07:30 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
23843321

M e-Sign

